/2023

ई–पत्रावली–36160

संख्याः 238/XII-3/2023/83(08)/2022

प्रेषक,

दीप्ती मिश्रा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2023

विषयः– ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 29 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3775/निर्माण–8/2022–23, दिनांक 14.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 29 नई ग्रामीण सडक योजनाओं के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं सर्वेक्षण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 108.91 लाख (एक करोड़ आठ लाख इकानवें हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये संलग्नक के कॉलम 2 मे उल्लिखित योजनावार कॉलम 5 में उल्लिखित विवरणवार स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश सं0–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

(vi) आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vii) आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यो में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजनाओं के डी0पी0आर0/सर्वेक्षण हेतु मार्गवार अवमुक्त धनराशि को उनके मूल लागत/विस्तृत आगणन में समायोजित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है। आप भी पने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना निश्चित करेंगे।

) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन ा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा क्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा।

) शासनादेश संख्या–445/XII–3/2021/87(07)/2019, दिनांक 19.07.2021 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित या जायेगा। पूर्ण रूप से विवाद रहित मोटर मार्गों की डी0पी0आर0 नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया जाना निश्चित किया जाय।

उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान ख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–03–ग्रामीण ड़कें एवं ड्रेनेज–53–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget lotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग)–4, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं0–1/111225/2023, नांक 29 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ग्नक–यथोपरि।

Signed by Dipti Mishra
Date: 29-03-2023 17:04:54
(दीप्ती मिश्रा)
उप सचिव।

ा: 238(1)/XII-3/2023/83(08)/2022, तद्दिनांकित।

लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

हालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।

मस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

मस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।

... लक्ष्मी रोड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

2023

16	वि0ख0 देवप्रयाग के अन्तर्गत जगणिकलाल–चामी मोटर मार्ग के चौरगदनिया नामे तोक से ग्राम 1भडियारा तल्ला के हरदेव सिह कठैत के मकान तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	घनसाली	2.00	3.00
17	वि0स0क्षे0 डीडीहाट के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत भातड–कुकरौली मोटर मार्ग में जु0हा0रफूल से दुनेरा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	डीडीहाट	3.00	4.50
18	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत नैनबाग ऐन्दी मोटर मार्ग किमी0 15 से ग्राम कोडी तक 12 मीटर लौह सेतु सहित ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	टिहरी	1.20	5.28
19	जनपद ऊधमसिंहनगर के वि0ख0 जसपुर के अन्तर्गत ग्राम देवीपुरा से गुरलीवाला तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन)	ऊधमसिंहनगर	1.20	0.72
20	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 विण के अन्तर्गत गाय गिलौत में डिग्गी के पारा से कोलू डाणा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	पिथौरागढ़	1.00	1.50
21	वि0स0क्षे0 डीडीहाट के वि0ख0 डीडीहाट के अन्तर्गत थल–मुवानी मोटर मार्ग मे डिगॉटी पुल से डिगॉटी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	डीडीहाट	3.00	4.50
22	जनपद चम्पावत के वि0ख0 बाराकोट के अन्तर्गत ग्राम रामा पन्दा में लडीधुरा मोटर मोटर मार्ग से रामलीला मंच तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन)।	चम्पावत	1.20	0.72
23	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत वि0ख0 कल्जीखाल में सतपुली–बिलखेत–देवप्रयाग मोटर मार्ग से ग्राम बाडियूं से आंवला कोट (ओलना कोट) तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	पौड़ी	4.00	6.00
24	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 बेरीनाग के अन्तर्गत बर्तुगा–सिरतोली ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	पिथौरागढ	2.05	3.08
25	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 मूनाकोट के अन्तर्गत ग्राम मननथला वाल विद्य मंदिर अडकिनी नागार्जुन मंदिर मननथला तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	पिथौरागढ	2.00	3.00
26	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम बथौली के पचायतघर से सिराड़ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	डीडीहाट	3.00	4.50
27	जनपद पौडी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के अन्तर्गत वि0ख0 कल्जीखाल मे पौडी–घण्डियाल–सतपुली मोटर मार्ग से बनेख से मेडा–सुरमाडी गाव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	पौडी	2.50	3.75
28	जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम सुरौण से एस0सी0पी0ग्राम डाणु तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	डीडीहाट	2.00	3.00
29	ग्राम उत्ताणा मे सिल्काखाल सडक (दिगलियाखड्ड तोक) होते हुए अनुसूचित जाति बस्ती तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (स्टेज–1)	घनसाली	2.00	3.00
	योग		68.74	108.91

(रूपये एक करोड़ आठ लाख इक्कानवें हजार मात्र)

(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।